

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 24, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 15, 2025 Agrahayana 24, Monday, Saka 1947- December 15, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 15, 2025

जी.एस.आर.120 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)इन नियमों का नाम राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 से संलग्न अनुसूची-I में क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“क. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए;

और

ख. ऑटोमोबाइल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था द्वारा दिया गया यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

कोई अन्य अर्हता जो उपरोक्त यथोल्लिखित के समतुल्य या से उच्चतर हो;

और

ग. गियर सहित मोटरसाइकिल और हल्के मोटर यान को चलाने हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।”

[सं. एफ. 2(2) डीओपी/ए-II/89]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 15, 2025**

G.S.R.120 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transport Subordinate Service (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2.Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Transport Subordinate Service Rules, 1963, the existing entries of column number 3 against serial number 2 shall be substituted by the following, namely:-

- "A. Must have passed Secondary examination from any recognised Board;
and
B. Diploma in Automobile Engineering (Three year course);
or
Diploma in Mechanical Engineering (Three year course);
awarded by any institution recognised by the Central Government or State Government;
or
any other qualification equivalent or higher than as mentioned above;
and
C. Must hold a driving license authorising to drive motorcycle with gear and light motor vehicles."

[No. F.2(2)DOP/A-II/89]
By order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.